राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा–12(विविध)/आं.जा./2024/ दिनांकः–

संयुक्त निदेशक,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी CHC,
समस्त

विषयः–चिकित्सों को NPA के भुगतान के समय वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक F-6 (8) FD/Rules/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं समय–समय जारी निर्देशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों को NPA का भुगतान किया जाता रहा है।

किन्तु यह देखा गया है कि चिकित्सा अधिकारियों को NPA भुगतान के समय वित्तीय नियमों की पूर्व पालना नहीं की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करना, NPA भुगतान के सक्षम स्तर से आदेशों का अभाव एवं प्रतिमाह प्रेक्टिस नहीं करने के प्रमाण–पत्र के अभाव में कार्यालय के लेखों की अंकेक्षण करते समय चिकित्सा अधिकारियों को अनियमित NPA भुगतान के आक्षेप गठन किये जाते है। इस प्रकार आक्षेपों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

अतः समस्त चिकित्सा अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार NPA के भुगतान हेतु निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, संबंधित द्वारा प्रतिमाह प्रेक्टिस नहीं करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं सक्षम स्वीकृति जारी करने आदि प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित कर समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का नियमानुसार रिकॉर्ड संधारण कर लेखों के अंकेक्षण के समय जांच दल को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना करने पर अनियमित भुगतान की स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष NPA के अनियमित भुगतान की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से पूर्ण उत्तरदायी होगें।

Sd
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः लेखा–12(विविध)/आं.जा./2024/323 दिनांकः– 07/5/24
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रभारी सर्वर रूम, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

D:/Ofc Letter/Kailash ji sir